Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के पंचायतीराज व्यवस्था का प्रभाव (झाबुआ जिले के अनुसूचित जनजाति के विशेष संदर्भ में)

मोहन डोडवे* डॉ. दीपक कारभारी**

*** शोधार्थी (समाजशास्त्र) डॉ. अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर, महू (म.प्र.) भारत**
**** शोध निर्देशक, सामाजिक विज्ञान अध्ययनशाला, डॉ. अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर, महू (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – पंचायतीराज व्यवस्था राजनीतिक जागरूकता के अलावा आम आदमी के सशक्तिकरण का भी परिचालक है, इसलिये विकेंद्रीकरण शासन वयवस्था और सहभागिता मूलक लोकतंत्र पंचायतीराज व्यवस्था के मुख्य घटक है। इसकी सफलता वहां के केवल स्थानीय स्तर पर लोगों की सक्रियता के लिये ही नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी आवश्यक है।
शब्द कुंजी – पंचायतीराज व्यवस्था और अनुसूचित जनजाति पर प्रभाव।

प्रस्तावना – सन 1993 में जब 73 वां संविधान संशोधन पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है तब से आधुनिक भारत की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम रहा है। जिसमें त्रिस्तरीय राजव्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन परिषद में सहभागिता लोकतंत्र का एक मॉडल बनाया गया है। सरकार को आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को करीब लाने की योजना है।

शोध प्रविधि :

अध्ययन का क्षेत्र –मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला अध्ययन का क्षेत्र चुना गया है।

अध्ययन का समग्र –झाबुआ जिलें के ग्राम पंचायत के अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित सदस्य अध्ययन के समग्र है।

अध्ययन की इकाई – अध्ययन की इकाई अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित प्रतिनिधि है।

निदर्शन पद्धति – निदर्शन विधि के अंतर्गत शोध की प्रकृति तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देव निदर्शन के उद्देश्यपूर्ण पद्धति के द्वारा झाबुआ जिले की 06 ब्लाक से 300 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

समंकों के संकलन के स्त्रोत:

प्राथमिक स्त्रोत –प्राथमिक संमकों का संकलन निम्नलिखित स्त्रोतों के द्वारा किया गया है :–

1. साक्षात्कार अनुसूची 2. अवलोकन 3. समूह चर्चा 4. फोटोग्राफी एवं 5. कैमरा है।

द्वितीयक स्त्रोत –द्वितीय समंक के अन्तर्गत संबंधित साहित्य, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट, भू–अभिलेख, सांख्यिकीय कार्यालय तथा विश्वविद्यालयों से प्राप्त शोध साहित्यों का अध्ययन किया गया है।

शोध समस्या का चयन – प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का लक्ष्य अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शैक्षणिक स्तर को उंचा उठाना है। लेकिन ग्रामीण परिवारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है एवं उनके विकास में भी समूचित लाभ अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, को जानने के लिये शोध समस्या का चयन किया गया है।

पंचायतीराज व्यवस्था का प्रभाव – पंचायतीराज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पडें है जो इस प्रकार है –

विकेंद्रीकरण के अतंर्गत पंचायतीराज व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव–

1. जिला परिषद में जिला स्तर पर, पंचायत समिति में मध्यवर्ती स्तर पर एवं ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर पंचायत राजव्यवस्था के माध्यम से विकास किया गया है।
2. 11वीं अनुसूची में कृषि विस्तार के साथ ही साथ भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यांवयन, चकबंदी एवं भूमि संरक्षण किया जाता है।
3. इसके अलावा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल विभाजक क्षेत्र का विकास किया गया है। पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन आदि ग्रामीण विकास के लिये स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये है।
4. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी की व्यवस्था के साथ ही लघु वन उपज एवं लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल किये गये है।
5. खादी ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योगों को बढावा दिया गया है इसके अतिरिक्त ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईधन एवं चारा की वयवस्था के साथ ही यातायात के साधन जैसे सडके, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार के साधन उपलब्ध किये गये। विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण किया जा सकें।
6. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अलावा शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शामिल किये जाने के साथ ही साथ तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ एवं औपचारिक शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी।

7. सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिये बाजार एवं मेले की व्यवस्था की गयी।
8. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिये अस्पताल, प्राथमिक सवास्थ्य केंद्र और औषद्यालय के अलावा महिला बाल विकास केंद्र खोले गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वजनिक बस्तियों का निर्माण किया गया है।

सारिणी क्रं. – 1: उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के आने से उनपर पडने वाले प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
सकारात्मक प्रभाव	180	60.0 प्रतिशत
नकारात्मक प्रभाव	70	23.4 प्रतिशत
दोनों ही	50	16.6 प्रतिशत
योग	300	100.0

आरेख क्रं. – 1

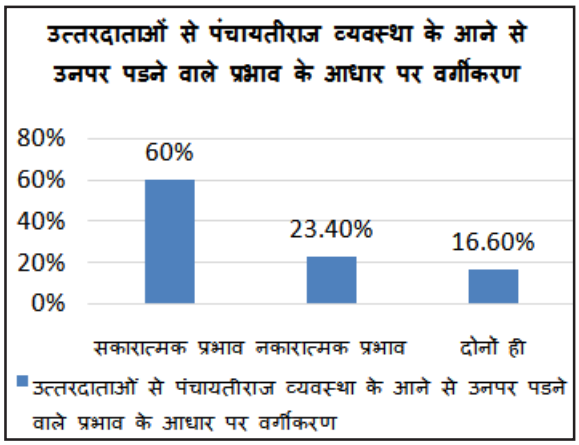

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के आने पर उनपर क्या प्रभाव पडा है, जानने के लिये किये गये वर्गीकरण के अनुसार 300 उत्तरदाताओं में से 180 उत्तरदाताओं का मानना है कि उनपर सकारातमक प्रभाव पडा है जिसका 60 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है जबकि 70 उत्तरदाताओं का मानना है कि इसका उनपर नकारात्मक प्रभाव भी पडा है जिसका 23.4 प्रतिशत है जबकि 50 उत्तरदाताओं का मानना है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पडा है जिसका 16.6 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि झाबुआ जिले के अधिकांश लोगों पर पंचायतीराज व्यवस्था के आने से सकारात्मक प्रभाव पडा है।

सारिणी क्रं. – 2: उत्तरदाता से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में कोई सुधार होने, के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
मूलभूत आवश्यकताओं में सुधार	112	37.3 प्रतिशत
ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार	98	32.7 प्रतिशत
स्थानीय क्षेत्रों में लाभ मिलना	90	30.0 प्रतिशत
योग	300	100.0

आरेख क्रं. – 2

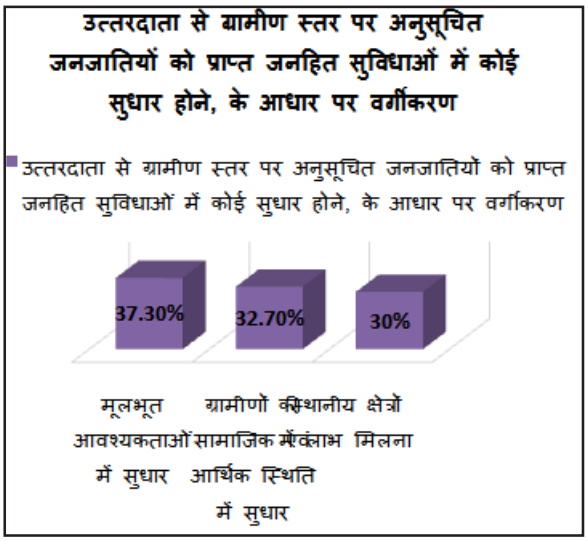

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में कोई सुधार होने, के आधार पर वर्गीकरण 300 उत्तरदाताओं में से 112 उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में सुधार हुआ है जिसका 37.3 प्रतिशत है जबकि 98 उत्तरदाताओं ने कहा कि ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है जिसका 32.7 प्रतिशत है एवं 90 उत्तरदाताओं ने कहा है कि स्थानीय क्षेत्रों में लाभ मिला है जिसका 30 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है।

विकेंद्रीकरण के अतंर्गत पंचायतीराज व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव:

1. अनुसूचित जनजाति में पंचायत की ग्राम सभा की बैठकों में महिलायें समय के अभाव एवं अज्ञानता व समझ की कमी के अतिरिक्त रूढिवादी विचारधारा के कारण कई समस्याओं का सामना कर रही है।
2. पंचायत की ग्रामसभाओं की नियमित रूप से बैठक न होने के स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इसका कारण पंचायत कर्मियों के पास समय का अभाव रहता है।
3. इसके अलावा जनजागरूकता में कमी के साथ ही पंचों एवं लोगों में इसके प्रति रूचि का अभाव रहता है।

सारिणी क्रं.– 3: उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रियांवयन में आने वाली समस्याओं के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
जातिवाद	40	13.4 प्रतिशत
अशिक्षा	90	30.0 प्रतिशत
वित्तीय साधनों का अभाव	70	23.4 प्रतिशत
राजनीति एवं गुटबंदी	35	11.6 प्रतिशत
उपरोक्त सभी	65	21.6 प्रतिशत
योग	300	100.0

आरेख क्रं. – 3

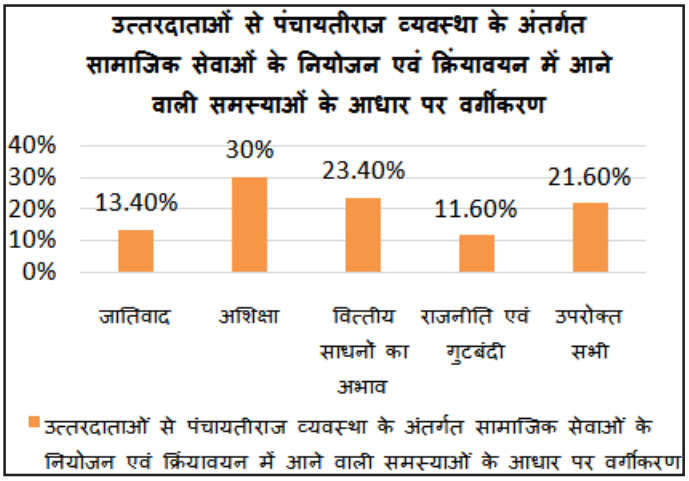

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रियावयन में आने वाली समस्याओं के आधार पर वर्गीकरण करने पर 300 उत्तरदाताओं में से 40 उत्तरदाताओं का कहना है कि जातिवा सबसे बडी समस्या है जिसका 13.4 प्रतिशत है जबकि 90 उत्तरदाताओं का कहना है कि पंचायतीराज व्यवस्था में आने वाली सबसे बडी समस्या अशिक्षा है जिसका 30 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। 70 लोगों का कहना है कि उनके पास वित्तीय साधनों के अभाव के कारण पंचायत के नियोजन में समस्यायें उत्पन्न हो रही है जिसका 23.40 प्रतिशत है जबकि 35 लोगों का कहना है कि पंचायतीराज व्यवस्था में राजनीति एवं गुटबंदी बडी समस्या है जिसका 11.6 प्रतिशत है एवं 65 लोगों का कहना है कि उपरोक्त सभी बातें पंचायतीराज के कार्य नियोजन में बाधक है जिसका 21.6 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि झाबुआ जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रियावयन में आने वाली सबसे बडी समस्या वहां के लोगों केा अशिक्षित होना है।

निष्कर्ष :

1. झाबुआ जिले के सर्वेक्षण के आधार पर जिले में विकेंद्रीकरण के पंचायतीराज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति समुदाय पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव पडे है लेकिन पंचायतीराज व्यवस्था के आने से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है।
2. झाबुआ जिले के अधिकांश लोगों पर पंचायतीराज व्यवस्था के आने से सकारात्मक प्रभाव पडा है।
3. झाबुआ जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रियावयन में आने वाली सबसे बडी समस्या वहां के लोगों केा अशिक्षित होना है।

सुझाव :

1. जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रियांवयन में आने वाली सबसे बडी समस्या वहां के लोगों केा अशिक्षित होना है। इसलिये सर्वप्रथम झाबुआ जिले के अनुसूचित जनजाति समुदाय को शिक्षित करने की आवश्यकता है, इसके लिये हरसंभव प्रयास करने की जरूरत है।
2. पंचायतीराज व्यवस्था के आने से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में सुधार तो हुआ है, लेकिन शत–प्रतिशत मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के लिये सतत प्रयासरत होने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डिगरसे नरेन्द्र: *'नए पंचायत राज मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की भागीदार का अध्ययन पंचायत'* (2001)
2. गौड़ कृष्ण कुमार (1991) : 'भारत में ग्रामीण नेतृत्व का उदीयमान स्वरूप', मानक पब्लिकेशन प्राधिकरण लिमिटेड, दिल्ली।
3. प्रसाद अवध (1998) :'गांवों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति परिवर्तन', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

****